



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 911] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 19, 2018/अग्रहायण 28, 1940  
No. 911] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 19, 2018/AGRAHAYANA 28, 1940

---

गृह मंत्रालय

(जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1223(अ).—**राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा आम सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है:—

जबकि मुझे, भारत के राष्ट्रपति, राम नाथ कोविन्द को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और मुझे प्राप्त इस रिपोर्ट तथा अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का शासन भारत के संविधान, जैसा कि वह उस राज्य पर लागू है, (जिसे इसमें इसके पश्चात "संविधान" कहा गया है) और जम्मू एवं कश्मीर के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात "राज्य संविधान" कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं :—

- (क) संविधान और राज्य संविधान के अधीन उक्त राज्य की सरकार के सभी कार्यों और उस राज्य के राज्यपाल में निहित अथवा उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता हूँ;
- (ख) उद्घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और
- (ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं; अर्थात्:—

(i) पूर्वोक्त के अनुसार, इस उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कार्यों तथा शक्तियों का प्रयोग करने में मेरे लिए, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूँ, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा;

(ii) संविधान के तथा राज्य संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्वारा निलंबित किया जाता है, अर्थात् :—

“संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रथम परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल के प्रति निदेश से है, और उस अनुच्छेद का दूसरा परन्तुक; संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है;

राज्य संविधान की धाराएं 35 से 41 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), धारा 43 का उतना भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच कार्य के बंटवारे से है, धारा 44, धारा 53 की उप-धारा (i) और उप-धारा (2) का खंड (क), धाराएं 54, 55, 56 तथा 57, धारा 58 के खंड (ख) और (ग) और उसका पहला परन्तुक, धारा 59 धारा 60, धारा 61 की उप-धारा (2), जहां तक उसका संबंध धारा 58 के खंड (ग) और पहले परन्तुक से तथा धारा 60 से है; धाराएं 65, 66, 67, 71 और 72, धाराएं 74, 75 और 76, धारा 77 की उप-धारा (3) तथा (4), धाराएं 85 से 88 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) और धारा 137 का उतना भाग जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट के राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है”;

(iii) संविधान में और राज्य के संविधान में, राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उक्त राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा और संविधान में तथा राज्य के संविधान में राज्य के विधानमंडल या उसके सदनों के प्रति, यथा स्थिति, किसी निदेश का, जहां तक उसका संबंध उसके कार्यों और शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा, और विशिष्टतया राज्य के संविधान की धारा 91 में राज्यपाल के प्रति और राज्य के विधानमंडल अथवा उसके सदनों के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति के प्रति और संसद या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा:

परन्तु इसमें की कोई बात राज्य संविधान की धारा 26 की उप-धारा (1), धाराएं 27 से 31 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) धारा 122, धारा 143 और दूसरी अनुसूची के पैरा i से 8 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी अथवा राष्ट्रपति को इस खंड के उप-खंड (1) के अधीन, उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझे, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित नहीं करेगी;

(iv) संविधान में, या राज्य संविधान में राज्य के विधानमंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह अधिनियमों या विधियों को भी समाविष्ट करता है, जो इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं, और जम्मू व कश्मीर साधारण खंड अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्या xx) और साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) का उतना भाग जितना राज्य की विधियों पर लागू होता है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा मानो यह उस राज्य के विधानमंडल का अधिनियम हो।

नई दिल्ली,

दिनांक : 19 दिसम्बर, 2018

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

[फा. सं. 11012/03/2018-के.-I]

राजीव गाबा, गृह सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
**(Department of Jammu and Kashmir Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th December, 2018

**G.S.R. 1223(E).**—The following Proclamation by the President is published for general information:—

Whereas, I, Ram Nath Kovind, President of India, have received a report from the Governor of the State of Jammu and Kashmir and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India, as applicable to that State (hereinafter referred to as “the Constitution”) and of the Constitution of Jammu and Kashmir (hereinafter referred to as “the State Constitution”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution, and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I:—

- (a) assume to myself as President of India all the functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the State Constitution;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—
  - (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
  - (ii) the operation of the following provisions of the Constitution and of the State Constitution is hereby suspended, namely:—

“So much of the first proviso to article 3 of the Constitution as relates to the reference by the President to the Legislature of the State and the second proviso to that article; so much of clause (2) of article 151 of the Constitution as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

sections 35 to 41 (both inclusive), so much of section 43 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State, section 44, sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 53, sections 54, 55, 56 and 57, clauses (b) and (c) of section 58 and the first proviso thereto, section 59, section 60, sub-section (2) of section 61 so far as it relates to clause (c) of, and the first proviso to section 58 and to section 60, sections 65, 66, 67, 71 and 72; sections 74, 75 and 76, sub-sections (3) and (4) of section 77, sections 85 to 88 (both inclusive) and so much of section 137 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State, of the State Constitution”;

- (iii) any reference in the Constitution and the State Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference in the Constitution and the State Constitution to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the reference in section 91 of the State Constitution to the Governor and

to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of sub-section (1) of section 26, sections 27 to 31 (both inclusive), section 122, section 143 and paragraph 1 to 8 (both inclusive) of the Second Schedule to the State Constitution or prevent the President from acting under sub-clause (1) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

- (iv) any reference in the Constitution or in the State Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament, by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the Jammu and Kashmir General Clauses Act, 1977 (Act no. XX of 1977) and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

NEW DELHI;

The 19th December, 2018.

RAM NATH KOVIND

PRESIDENT

[F. No. 11012/03/2018-K-I]

RAJIV GAUBA, Home Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1224(अ).**—राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज दिसम्बर, 2018 के उन्नीसवें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) के उप-खंड (i) के अनुसरण में, मैं एतद्वारा निदेश देता हूँ कि जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार के सभी कार्य तथा संविधान और जम्मू एवं कश्मीर के संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली,

दिनांक : 19 दिसम्बर, 2018

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

[फा. सं. 11012/03/2018-के.-I]

राजीव गाबा, गृह सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 19th December, 2018

**G.S.R. 1224(E).**—The following Order made by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 19th day of December, 2018, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Jammu and Kashmir and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution and the Constitution of Jammu and Kashmir or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

NEW DELHI;

The 19th December, 2018.

RAM NATH KOVIND

PRESIDENT

[F. No. 11012/03/2018-K-I]

RAJIV GAUBA, Home Secy.